(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
[केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड]

आदेश

सं. 01/2019-केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 01 फरवरी, 2019

का.आ. (अ).-- केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस आदेश में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 10 की उप-धारा (1) यह उपबंधित करती है कि ---

(i) एक रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट सेवाओं की पूर्ति से भिन्न सेवाओं की पूर्ति में लगा है, उक्त उपधारा के अधीन स्कीम का चयन कर सकेगा;

(ii) ऐसा व्यक्ति जो उक्त स्कीम का चयन करता है, वह पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य या संघराज्य क्षेत्र में व्यापारावर्त के 10 प्रतिशत से अनधिक मूल्य या पांच लाख रुपये, जो भी अधिक हो, की सेवाओं (उनसे भिन्न, जो उक्त अधिनियम की अनुसूची 2 के पैरा 6 के खंड (ख) में निर्दिष्ट) की पूर्ति कर सकेगा;

और, उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप-धारा (2) का खंड (क) यह उपबंधित करता है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त उपधारा (1) के अधीन चयन का पात्र होगा, यदि उक्त उप-धारा (1) में अन्यथा उपबंधित के सिवाय वह सेवाओं की पूर्ति में नहीं लगा हुआ है;

और, कारबार पद्धति की बचत और निवेश के भाग के रुप में सेवाएं प्रदान करना जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है परिणामस्वरुप उपरोक्त स्कीम के लिए उनकी अपात्रता से लघु कारोबारों को अत्यधिक कठिनाई उत्पन्न होती है और इसके कारण उक्त अधिनियम की धारा 10 के उपबंधों को प्रभावी करने में कतिपय कठिनाइयां उत्पन्न हुई हैं ।

अत: अब, केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 172 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण में का.आ. संख्यांक 3330 (अ), तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित संघराज्यक्षेत्र माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2017, संख्या 1/2017-केन्द्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या

करने का लोप किया गया है, परिषद की सिफारिश पर निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :-

1. इस आदेश का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय माल और सेवा कर (कठिनाई निवारण) आदेश, 2019 है ।

2. कठिनाइयों को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि छूट प्राप्त सेवाओं की पूर्ति का मूल्य जो कि जमा, ऋण या अग्रिम के माध्यम से दी जाती है, जहां तक कि ब्याज या छूट के माध्यम से प्रतिफल को व्यक्त किया जाता है, हिसाब में नहीं लिया जाएगा --

(i) धारा 10 की उप-धारा (1) के दसूरे परंतकु के अधीन कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में;

(ii) कंपोजिशन स्कीम के लिए उसकी पात्रता अवधारित करने के क्रम में उसके सकल व्यापारावर्त की गणना करने में ।

[फा. सं. 20/06/16/2018-जीएसटी (भाग-II)]

(डा. श्रीपार्वती एस.एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार